

क्र० सं०	मद का विस्तृत विवरण / मुख्य अभियन्ता / खण्ड / योजना का नाम	आवंटित धनराशि
	मुख्य अभियन्ता स्तर- II, अल्मोड़ा	
	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीघोट के ग्राम गुना किटाण में किटाणी गंधरे के किनारे भूकटाव निरोधक कार्य की योजना । (घोषणा सं० ७४७/२०२१) ।	11.74
	योग सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	11.74
	सिंचाई खण्ड, धारचूला	
1	जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत भुजगढ नदी के दायें पार्श्व पर स्थित ग्राम धामीगाँव के श्री सुरेश राम के मकान के समीप बाढ़ सुरक्षा कार्य ।	7.06
2	जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत भुजगढ नदी के दायें पार्श्व पर स्थित ग्राम नाचनी के बहुउद्देशीय भवन व पंचायत घर के समीप बाढ़ सुरक्षा कार्य ।	5.74
3	जनपद पिथौरागढ़ के वि०ख० मुनस्यारी में रामगंगा नदी के दायें किनारे (श्री कुन्दन यथियाल के घर के समीप) पर स्थित नाचनी गांव की रामगंगा नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा की प्रायोजना ।	4.58
4	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी में रामगंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित नाचनी गांव (झूला पुल के समीप) की रामगंगा नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा प्रायोजना ।	4.00
	योग सिंचाई खण्ड, धारचूला	21.38
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर- II, अल्मोड़ा	33.12
	मुख्य अभियन्ता स्तर- II, हरिद्वार	
	सिंचाई खण्ड, टिहरी	
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड थौलधार में नगुण गाड़ के कटाव से ग्राम क्यारी की सिंचाई कृषि भूमि पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजना ।	15.77
	योग सिंचाई खण्ड, टिहरी	15.77
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर- II, हरिद्वार	15.77
	योग बाढ़ कार्य	324.25

(रु० तीन करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या IRR 2-1/II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 34095)/I/215159/2024, दिनांक 03.08.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :-

- उक्तानुसार अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।
- धनराशि आवंटित करने से पहले प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसकी भौतिक प्रगति का सत्यापन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा । कार्य मानकानुसार पाये जाने व भौतिक प्रगति उचित पाये जाने के उपरान्त ही धनावंटन किया जायेगा ।
- अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम् दि० 31.03.2025 तक कर लिया जाये यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा ।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्ण रूप से योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गई है । अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-2 एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।
- निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक भौतिक प्रगति, फोटोग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 जुलाई 2024 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी ।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या IRR 2-1/II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 34095)/I/215159/2024, दिनांक 03.06.2024 द्वारा अनुदान संख्या-20 के राजस्वलेखा मद में मुख्य लेखाशीर्षक 2711 में राज्य सैक्टर बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी लघु निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू0 324.25 लाख (रू0 तीन करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुए किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि रू0 324.25 लाख का मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार/मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	मद का विस्तृत विवरण/मुख्य अभियन्ता /खण्ड/योजना का नाम	आवंटित धनराशि
क	20/2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 01-बाढ़ नियंत्रण, 103-सिविल निर्माण कार्य, 03-सिविल निर्माण कार्य, 00, 52-लघु निर्माण (2711-01-103-03-00-52)	
	बाढ़ सुरक्षा योजना	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-II, श्रीनगर	
	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	
1	Restoration work of protection scheme of Sliding Zone near Sharda Ghar, Agency Mohalia in Srinagar Garhwal, Block Kharsu, Distt. Pauri Garhwal, Uttarakhand. 14.86	
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में मरखोला तिमलगड़ी तोक बाढ़ सुरक्षा योजना।	15.89
3	राज्य सैक्टर में जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में मरखोला गदेना तोक बाढ़ सुरक्षा योजना।	7.26
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में इटुड बाढ़ सुरक्षा योजना।	10.73
5	राज्य सैक्टर में जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में बुरौशी जलगाड तोक बुरौशी जलगाड तोक बाढ़ सुरक्षा योजना।	14.96
6	राज्य सैक्टर में जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में सैजी कुडखाल घट तोक बाढ़ सुरक्षा योजना।	7.19
	योग सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	70.09
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-II, श्रीनगर	70.09
	मुख्य अभियन्ता स्तर-I, देहरादून	
	सिंचाई खण्ड, पुरोला	
1	जनपद उत्तरकाशी के नौगांव वि.ख. में श्री रामां होटल के समीप पुजारगांव में पालीगाड बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजना (घोषणा सं0 1526/2021)।	2.87
2	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के गाँव के सलावा नामे तोक में बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना।	6.99
3	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगाँव में ग्राम कामरा के कमरगड़ी तोक कार्य की योजना।	5.47
4	जनपद उत्तरकाशी के वि.ख. पुरोला के ग्राम पंचायत पोरा के पोस्ताड़ी तोक में सुरक्षा निर्माण कार्य की योजना।	9.03
5	जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखण्ड के ग्राम रेक्चा में देवक्यारका खड्ड की बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	9.75
6	जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 मोरी में बिंगसारी खड्ड के दडियाणा में बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्यमंत्री घो0 1490/2021)	0.82